महत्वपूर्ण

संख्या-105/2017/2297/71-1-2017-जी-228/2017

प्रेषक

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण
उ0प्र0 लखनऊ।
2. कुलपति,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ,
उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलपति,
ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।
4. निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0
लखनऊ।
5. निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।
6. निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोयडा।
7. समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
8. निदेशक,
जे0 के0 कैंसर संस्थान/हृदय रोग संस्थान, कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक अगस्त , 2017

विषयः- उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों की चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदेश के नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही राजकीय मेडिकल कालेजों/स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों द्वारा चिकित्सकीय कार्य के साथ-साथ शैक्षणिक कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है। प्रदेश के नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके, उसके लिए उक्त संस्थानों में निरन्तर मरीजों के हित और उनको प्राप्त होने वाले उपचार के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है, परन्तु दिनॉक 11-08-2017 को राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के बाल रोग विभाग में हुई लापरवाही की वजह से कतिपय शिशुओं की आकस्मिक मृत्यु हुई। यदि समय रहते वहॉ के चिकित्सक एवं कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा मेडिकल कालेज में उपलब्ध सुविधाओं का तत्काल उपयोग किया गया होता, तो इस प्रकार की घटना न घटित होती एवं विभाग की छवि धूमिल न होती।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज गोरखपुर में उत्पन्न हुई स्थिति की पुनरावृत्ति किसी भी राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान/स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों में न हो, इस हेतु कृपया निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे-:-

1) आप अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत समस्त चिकित्सकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करे कि वे अपने-अपने से संबंधित विभागों का गहन निरीक्षण कर ले व यदि निरीक्षण रिपोर्ट में कोई कमी/समस्या है तो उसका संज्ञान आपके द्वारा लिया जाये व उक्त कमी/समस्या का समाधान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराते हुए मरीजों को प्राप्त हो रही चिकित्सा सुविधा में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु स्वयं समीक्षा करने का कष्ट करे तथा नियमित अनुश्रवण किया जाना भी सुनिश्चित करे।

2) यह सुनिश्चित किया जाये कि मेडिकल कालेजों/संस्थानों/स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों में जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धतता सुनिश्चित रहे तथा आक्सीजन गैस आपूर्ति के लिए समय से आदेश (इनडेन्ड) देते हुए पर्याप्त आरक्षित स्टाक भी रखा जाये।
3) मेडिकल कालेजों/संस्थानों/स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों से संबंधित आई0सी0सी0यू0 का प्रोटोकाल के अनुसार डिसइन्फेक्शन को भी समयबद्ध करते हुए डिस्इन्फेक्शन की कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाये। इस हेतु कलेण्डर बनाया जाये तथा समय-समय पर प्रधानाचार्य द्वारा स्वयं निरीक्षण/अवलोकन किया जाये। निरीक्षण में पाई गई किसी भी कमी को तत्काल दूर कराना सुनिश्चित करे।
4) उक्त सभी कार्यो हेतु संस्थान में अधिकारी/प्रभारी नामित करते हुए नियमित समीक्षा वरिष्ठ प्रभारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित की जाये। समीक्षा में कमी पाए जाने पर प्रधानाचार्य/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उसका समयान्तर्गत निराकरण सुनिश्चित करे।
5) मेडिकल कालेजों/संस्थानों/स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों में सभी प्रकार के लम्बित देयों का भुगतान समयान्तर्गत सुनिश्चित किया जाये। अकारण विलम्ब होने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
6) मेडिकल कालेजों/संस्थानों/स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों में फायर फाइटिंग सिस्टम व विद्युतीकरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखा जाये, जिसमें अग्निशमन यंत्रों की चैंकिंग कराने के साथ उनकी वैधता को भी देखा जाये।
7) प्रत्येक भवन की विधुत सेफ्टी व फायर विभाग के लिए संबंधित विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जाये।
8) प्रत्येक भवन हेतु निर्धारित आपातकालीन निकास का निरीक्षण करते हुए निर्धारित निकास में कोई विध्न न हो, इसकी व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित कराई जाये। अग्निशमन विभाग के समन्वय/निर्देशन में माकड्रिल भी सुनिश्चित किया जाये।

3- उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और यदि कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं करता है, तो उसके विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर कठोर कार्यवाही की जाये।

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-105/2017/2297(1)/71-1-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
3- अपर निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।